कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या व.सं./22/2019-58

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 21/01/2020

विषय – बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पुर्णियाँ, किशनगंज जिलान्तर्गत बरौनी–गुवाहाटी गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.62935 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पुर्णियाँ, किशनगंज जिलान्तर्गत बरौनी–गुवाहाटी गैस पाईप लाईन बिछाने के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन हेतु उप महाप्रबंधक (निर्माण) गेल (इंडिया) लिमिटेड, मोंटाना विस्टा, उत्तरायण माटीगारा, सिलीगुड़ी का प्रस्ताव वन संरक्षक, पूर्णियाँ एवं मुजफ्फरपुर अंचल के माध्यम से जाँचोपरान्त प्राप्त हुआ है।

2. विषयांकित परियोजना में अपयोजित होने वाले स्थल, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार के विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा **"सुरक्षित वन (पथ तट, बांध तट एवं नहर तट)" के रूप में अधिसूचित है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।** लेकिन वन भूमि के रूप में अधिसूचित स्थल का स्वामित्व पैतृक विभाग का है। बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पुर्णियाँ, किशनगंज जिलान्तर्गत बरौनी–गुवाहाटी गैस पाईप लाईन उक्त अधिसूचित सुरक्षित वन भूमि से होकर गुजरेंगे। प्रस्तावित परियोजना का निर्माण राज्य के चार वन प्रमंडलों के अन्तर्गत होना है जिनमें अपयोजित होने वाली वन भूमि एवं उनमें पड़ने वाले वृक्षों की संख्या निम्नलिखित है–

क्रम सं०	वन प्रमंडल का नाम	क्षेत्रफल (हे० में)	वन भूमि में स्थित वृक्षों की संख्या
1	सहरसा	0.1295	90
2	अररिया	0.0930	20
3	पूर्णियाँ	0.2170	105
4	बेगूसराय	0.18985	131
	कुल	**0.62935**	**346**

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा द्वारा अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में अनुशंसा की गयी है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षो का पातन नहीं किया जायेगा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया द्वारा अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में परियोजना निर्माण के क्रम में आने वाले 20 वृक्षों में से 11 वृक्षों को Translocate करने एवं 9 वृक्षों के पातन की अनुशंसा की गयी है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में परियोजना निर्माण के क्रम में आने वाले 105 वृक्षों को Translocate करने की अनुशंसा की गयी है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में परियोजना निर्माण के क्रम में आने वाले 131 वृक्षों के पातन की अनुशंसा की गयी है।

ज्ञातव्य हो कि बरौनी–गुवाहाटी गैस पाईप लाईन बिहार राज्य के चार वन प्रमंडलों से होकर गुजरती है। सहरसा वन प्रमंडल अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेंसी के पत्रांक गेल/बीजीपीएल/एफसीए/0275 1275/2019 दिनांक 05.11.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 24" डाया की प्रस्तावित बरौनी–गुवाहाटी पाइप लाईन डाली जाएगी। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा यह भी आश्वस्त किया गया है कि पेड़ों की कटाई किये बिना प्रस्तावित वन भूमि 24" डाया की प्रस्तावित बरौनी–गुवाहाटी पाईपलाइन डाली जाएगी। गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा वृक्ष सुरक्षा योजना (Tree Protection Plan) के तहत वृक्ष को बचाने हेतु HDD/Trenchless विधि द्वारा पाइपलाईन बिछाई जाएगी। HDD/Trenchless विधि में 24" डाया की पाइप जमीन के उपरी सतह से 3 मीटर या उससे कुछ ज्यादा नीचे से जाती है जिसके कारण प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त विधि को अन्य तीनों वन प्रमंडलों यथा अररिया, पूर्णियाँ तथा बेगूसराय में भी अपनाते हुए परियोजना निर्माण कार्य पूरा किया जा सकता है। तद्नुसार पूरे परियोजना निर्माण क्षेत्र में एक भी वृक्षों के पातन नहीं करने के शर्त्त के साथ परियोजना कि अनुशंसा की जाती है।

परियोजना निर्माण का रूट चार्ट को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट एवं अपयोजित होने वाली वन भूमि का Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार बेगूसराय, पूर्णियाँ, अररिया एवं सहरसा द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व क्रमशः 0.4 से कम, 0.3, 0.1, 0.4 से कम अंकित किया गया है।

चारों वन प्रमंडल पदाधिकारियों द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में यह भी अंकित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

प्रस्तावित LPG पाईप लाईन का मार्गरेखन बेगूसराय स्थित कॉवर झील पक्षी आश्रयणी के बाहर एवं दूरस्थ है ।

परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णियाँ, किशनगंज एवं मधेपुरा द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र, सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के बाद उपलब्ध कराने संबंधित दिशा–निर्देश निर्गत की गयी है। तद्आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण पत्र के ही प्रस्ताव पर Stage-I की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव सरकार को अग्रसारित किया जा रहा है।

4. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

(1) भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

(2) 0.62935 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 3,93,973/– (रूपये तीन लाख तिरानवें हजार नौ सौ तिहत्तर) मात्र को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

(3) यद्यपि परियोजना निर्माण में वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा फिर भी हरितावरण बनाये रखने के लिये 100 वृक्षों के रोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के पक्ष में अद्यतन दर पर जमा कराया जायेगा।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही है। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./22/2019-58 दिनांक 21/01/2020

प्रतिलिपि – उप महाप्रबंधक (निर्माण) गेल (इंडिया) लिमिटेड, मोंटाना विस्टा, उत्तरायण माटीगारा, सिलीगुड़ी को सूचनार्थ।

21.1.2020

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

C/C